DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 29 जून 2022

----------DATED----------

खबर छपी तो टॉइलट पर जड़ा ताला खुल गया

■ शमसे आलम, शालीमार बाग

लोगों की शिकायत पर एनबीटी ने इस खबर को प्रकाशित किया था

एए व एबी ब्लॉक के बीच पार्क में दो महीने पहले बने शौचालय पर ताला लगा हुआ था। पार्क आने वाले लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसे खोलने को लेकर लगातार लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग भी करते आ रहे थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लोगों की शिकायत पर एनबीटी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर एक्शन लेते हुए इस शौचालय पर लगे ताले को खोल दिया है। जिससे लोगों में खुशी का माहौल है।

स्थानीय निवासी सत्यपाल शर्मा ने बताया था कि इस पार्क में पिछले 2 महीने पहले टॉइलट का काम पूरा हो चुका है। पहले पानी कनेक्शन ना होने से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब सारा काम पूरा होने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस पार्क में रोजाना आने वाले लोग खासे परेशान हैं। डीडीए अधिकारियों से कई बार शौचालय पर लगे ताले को खुलवाने के लिए मांग भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासी प्रवीण यादव ने बताया था कि इस पार्क में रोजाना सुबह और शाम काफी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी आते हैं। जिसे देखते हुए महिला और पुरुष दोनों के लिए यहां शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन इसपर ताला लगा दिया गया। शौच की जरूरत महसूस होने पर लोगों को घर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रह जाता था। लोगों की शिकायत एनबीटी ने इस खबर को अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया।

हजरत निजामुद्दीन इलाके में झुग्गियां गिराने पर रोक

■ प्रस, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए के उस प्रस्ताव पर यथास्थिति बरकरार रखे जाने का आदेश दिया है, जिसके तहत हजरत निजामुद्दीन के ग्यासपुर इलाके में बसी झुग्गी बस्तियों को तोड़ने की योजना बनाई गई। कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की याचिका पर उन्हें यह अंतरिम राहत प्रदान की।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मौखिक तौर पर कहा कि तोड़फोड़ पर 10 दिन की रोक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर, यदि इसे आज तोड़ दिया गया और कल हमें पता चला कि इन्हें (याचिकाकर्ताओं को) वहां बसे रहने का हक है, तब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा अदालत इस पर 11 जुलाई को विचार करेगी। तब तक के लिए इन्हें फौरी राहत तो मिलनी चाहिए। विवादित इलाके में यथास्थिति बनाकर रखी जाए। यदि वे 1995 से इस जगह पर हैं, तो 10 दिन के लिए इन्हें संरक्षण देने से कोई आसमान टूटने वाला नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अथॉरिटी इलाके में मौजूद जिन झुग्गियों को यहां से हटाना चाहती है, वो लागभग दो दशक से इस इलाके में बसी हैं और इनमें 32 झुग्गियां हैं। दलील दी कि उनके पुनर्वास के लिए अथॉरिटी की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई है। इससे वे लोग काफी तनाव में हैं। यह मानते हुए कि संबंधित जमीन डीडीए की है, उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि सर्वे होने तक याचिकाकर्ताओं को वहां से हटाया न जाए। साथ ही डूसिब की 2015 की नीति के मुताबिक उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 29 जून 2022 www.delhi.nbt.in

बिहारी कॉलोनी। अलकनंदा। नवीन शाहदरा। गुलमोहर पार्क। कर्दमपुरी। हर गोविंद एन्क्लेव। गुरू अंगद नगर। ⇨⇨

'DMRC को अपने कमर्शल प्रोजेक्ट के लिए DPCC से लेनी होगी मंजूरी'

भीकाजी कामा प्लेस स्टेशन के ऊपर बनना है यह प्रोजेक्ट

Prachi.Yadav@timesgroup.com

इस अंडरग्राउंड स्टेशन के ऊपर कमर्शल प्रोजेक्ट से मेट्रो को होगा फायदा

■ नईदिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने भीकाजी कामा प्लेस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के ऊपर अपने प्रस्तावित कमर्शल प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) से कोई मंजूरी नहीं ली है। एनजीटी के निर्देश पर की गई संयुक्त समिति की जांच में यह बात सामने आई, जिसने डीएमआरसी को सलाह दी है कि उसे डीडीए से लैंड यूज में बदलाव की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित सभी एजेंसियों से जरूरी क्लियरेंस और मंजूरियां लेनी चाहिए। डीएमआरसी के मुताबिक, लैंड यूज का मुद्दा अभी तक डीडीए के पास विचाराधीन है, इसीलिए संबंधित प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है।

संयुक्त समिति ने कहा, लैंड यूज में चेंज के बाद सभी एजेंसियों से अनुमति ले मेट्रो

एनजीटी में दाखिल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में संयुक्त समिति का कहना है कि डीएमआरसी को 11 अक्टूबर 2021 में हुई बैठक में संयुक्त समिति द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में एक बिंदुवार कंप्लायंस रिपोर्ट डीडीए के सामने पेश करनी चाहिए। फिर उसके आधार पर समिति एनजीटी के निर्देशों के अनुसार वहां पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

साइट की जांच रिपोर्ट में उठाए गए कई सवाल

एनजीटी के निर्देश का पालन करते हुए सीपीसीबी, डीपीसीसी और दिल्ली के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) के अधिकारियों वाली संयुक्त समिति 17 मई को साइट पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंची। उस वक्त वहां निर्माण कार्य बंद पड़ा था। संबंधित जगह के लैंडयूज में बदलाव के लिए डीएमआरसी का आवेदन डीडीए के पास विचाराधीन है। इसीलिए, डीएमआरसी ने अपने कमर्शल प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़ी सभी गतिविधियां रोक रखी हैं।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन का दायरा बढ़ाने के आरोपों को नकारते हुए डीएमआरसी ने कहा है कि लैंड एरिया 13,332 वर्गमीटर ही है। उसने 2100 और 1147 वर्ग मीटर के दो जमीन के टुकड़े संबंधित प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिए अस्थायी तौर पर अधिग्रहित किए हैं। उनका इस्तेमाल कमर्शल प्रोजेक्ट बनाने में नहीं होगा। वहां, हरियाली की बहाली के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। डीसीपी, ट्रैफिक और पीडब्ल्यूडी से इस प्रोजेक्ट के लिए एनओसी मिल गई है। पर डीपीसीसी से क्लियरेंस के लिए मेट्रो ने आवेदन नहीं दिया है। साइट पर लगे पेड़ों का हाल देखने के बाद वन अधिकारी ने डीएमआरसी से कहा कि वह अतिरिक्त जमीन पर लगे 111 पेड़ की नंबरिंग कराए। पेट्रोल पंप के पीछे की जमीन पर लगाए गए पेवर ब्लॉक वहां से हटाएं, ताकि उस जगह पर 10 से 20 पेड़ लगाकर प्रोजेक्ट से पर्यावरण को संभावित नुकसान को कुछ कम किया जा सके।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 जून, 2022

दो साल बाद 175 स्थानों पर लगेंगे शिविर

कांवड़ यात्रा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों से फीकी रही कांवड़ यात्रा इस बार खास होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस बार कांवड़ यात्रा कर लौटने वाले शिवभक्तों की सहूलियत के लिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में 175 कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को राजस्व विभाग मुख्यालय में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में सामंजस्य बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग, बिजली कंपनियां, दिल्ली पुलिस, सभी डीएम, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस आदि के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल ने बताया कि कांवड़ शिविर हैंगिंग पोर्टा कैबिन तकनीक पर आधारित होंगे। इसमें रस्सी और बल्लियां नहीं होती हैं। इन्हें तैयार करने में महज 24 घंटे लगते हैं। इसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा नहीं होती। इन शिविरों में जनरेटर, डीजल, दवा, मोबाइल टायलेट, पानी की व्यवस्था और साफ-सफाई का प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा जो संस्था टेंट लगवा रही है, उसे यात्रियों के खाने-पीने, बिजली के मीटर और बिल का भुगतान करना होता है।

झुग्गी-झोपड़ियां तोड़ने पर 11 जुलाई तक रोक

जासं, नई दिल्ली : हजरत निजामुद्दीन के ग्यासपुर इलाके में डीडीए की जमीन पर बसी 32 झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने पर हाई कोर्ट ने 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि यह झुग्गी वर्ष 1995 से हैं। दस दिन तक अगर ये और रहती हैं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। पीठ ने मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान झुग्गीवासियों ने कहा कि वे वहां दो दशक से रह रहे हैं और उनकी झुग्गी तोड़े जाने से पहले डीडीए ने कोई नोटिस भी नहीं दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

29 जून • 2022 राष्ट्रीय सहारा

ERS----------DATED----------

ग्यासपुर की झुग्गियों को तोड़ने पर 11 तक रोक

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर बसे हजरत निजामुद्दीन के ग्यासपुर इलाके की 32 झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने पर 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वहां 1995 से झुग्गी है और 10 दिन के लिए और उसे रहने दिया जाता है तो आसमान टूट नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि झुग्गियों को 10 दिन बाद तोड़ने से कुछ नहीं हो जाता। अगर अभी उसे तोड़ दिया जाए और बाद में पता चले कि वे उसके अधिकारी है तो क्या होगा। इसलिए इस मुद्दे पर 11 जुलाई को विचार किया जाएगा। तबतक के लिए यथास्थिति बरकरार रखा जाए। झुग्गीवालों ने कहा कि वे वहां दो दशकों से रह रहे हैं और उनकी झुग्गी तोड़े जाने से पूर्व डीडीए ने नोटिस नहीं दिया है। जबकि वे लोग 2015 में बने पुनर्वास योजना के अधिकारी हैं और उनका झुग्गी तोड़े जाने से पहले उनलागों का पुनर्वास किया जाए।

अमर उजाला

ग्यासपुर इलाके में झुग्गियों को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने हजरत निजामुद्दीन स्थित ग्यासपुर इलाके में झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि झुग्गियां तोड़ने में कुछ देरी करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि बाद में पता चला कि वे पुनर्वास के हकदार हैं तो कौन जिम्मेदार होगा।

अवकाशकालीन न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने निवासियों द्वारा दायर एक याचिका में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि उक्त स्थान पर झुग्गियां वर्ष 1995 से हैं और यदि दस दिन और उनकी रक्षा की जाती है तो स्वर्ग नीचे नहीं उतर आएगा।

इधर, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में वे दो दशकों से अस्तित्व में हैं और इसमें 32 झुग्गी हैं। आरोप है कि डीडीए के एक अधिकारी ने मौखिक रूप से उन्हें क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है। जबकि आज तक न तो उन्हें उचित नोटिस भेजा गया है और न ही डीडीए ने क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI

DATED 29/06/2022

राजस्व विभाग मुख्यालय में हुई विभिन्न विभागों की सामंजस्य बैठक

175 स्थानों पर कांवड़ कैंप लगाएगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों से फीकी रही कांवड़ यात्रा की चमक इस बार कुछ खास रहने वाली है। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को खास बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार इस बार कांवड़ यात्रा कर लौटने वाले शिवभक्तों की सहूलियतों के लिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में 175 कांवड़ कैंप लगाए जाएंगे।

इसको लेकर मंगलवार को राजस्व विभाग मुख्यालय में डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की एक सामंजस्य बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, बिजली कंपनियां, ड्यूसिब, दिल्ली पुलिस, सभी डीएम, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली फायर सर्विस, कैट, सिविल डिफेंस आदि के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल ने बताया कि इस बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान कावंड़ियों की सुविधा का सारा ध्यान रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कांवड़ शिविर हैंगिंग पोर्टा कैबिन तकनीक पर आधारित होंगे। इसमें रस्सी और बल्लियां नहीं होती हैं। इन्हें तैयार करने में महज 24 घंटे लगते हैं। इसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा नहीं होती। इन शिविरों में जनरेटर, डीजल, दवाईयां, मोबाइल टॉयलेट, पानी की व्यवस्था और साफ-सफाई का प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा जो संस्था टेंट लगवा रही है, उसे यात्रियों के खाने-पीने, बिजली का मीटर और बिल का भुगतान करना होता है।

डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक।

14 से कांवड़ यात्रा, 26 को जल

कमल बंसल ने बताया कि 14 जुलाई से शिवभक्त हरिद्वार से जल लेकर चलना शुरू हो गए हैं, जिन्हें दिल्ली पहुंचने में 3-4 दिन लगेंगे। राजधानी में खास तौर से 17 से 26 जुलाई तक भीड़ रहने की संभावना है। इनमें डाक कांवड़ वाले भी होते हैं, जो बगैर जल चढ़ाएं घर नहीं जा सकते। 26 जुलाई को शिवरात्रि है, उस दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

तिवारी ने किया नंद नगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क का दौरा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को डीडीए अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क नंद नगरी का दौरा किया और खेल का मैदान दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मैदान पर खेल रहे कुछ बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट में भी हाथ आजमाए। इस अवसर पर उद्यान विभाग के उपनिदेशक विजेंद्र कुमार, अतिरिक्त निदेशक एवं सहायक अभियंता कंवरपाल, उत्तर पूर्वी जिले के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी आयोजन के लिए बनाई गई खेल समिति के पदाधिकारी सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

नरेला में हटाया गया अतिक्रमण

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल रोड पर पुलिस व डीडीए ने मिलकर अतिक्रमण हटाया। इस सड़क पर लगी सभी रेहडी-पटरी व फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई कर उन्हें हटाया गया। लोगों का कहना इस सड़क पर रेहडी-पटरी वालों की वजह से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके चलते पुलिस व डीडीए द्वारा सड़क पर लगे अतिक्रमण को हटाया गया।